उत्तराखण्ड शासन

विद्यालय प्रबंधन समितियों के सम्मानित अध्यक्ष एवं सदस्य गणों से अनुरोध

सादर नमस्कार,

सर्वप्रथम मैं आपके द्वारा प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था के संचालन में प्रदत्त सहयोग हेतु आभार व्यक्त करता हूँ।

शिक्षा ही परिवार, समाज, राज्य व राष्ट्र की प्रगति का निर्धारक है। आपको विदित है कि राज्य सरकार विद्यालयी शिक्षा में सुधार हेतु सतत प्रयास कर रही है। **शिक्षा के अधिकार अधिनियम–2009** के अन्तर्गत 6–14 आयु वर्ग के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा उनका अधिकार है। प्रदेश सरकार ने इसे लागू करने के लिए आवश्यक नियम व मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाए हैं।

शिक्षा के उन्नयन के लिए आवश्यक है कि समुदाय तथा शिक्षा विभाग कंधे से कंधा मिला कर चले व एक दूसरे की कठिनाइयों को समझते हुए शिक्षा में सुधार के लिए समाधान का रास्ता निकाले। बच्चे अपने परिवार ही नहीं वरन् राष्ट्र की धरोहर हैं इसलिए गुणवत्ता युक्त शिक्षा का अधिकार उन्हें दिलाना हम सबका दायित्व है। समुदाय की विद्यालय प्रबन्धन में भूमिका सुनिश्चित करने हेतु तथा शिक्षा के अधिकार को यथार्थ रूप से लागू करने हेतु विद्यालय प्रबंधन समिति विद्यालयों में गठित की गई हैं।

प्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा को सुदृढ़ करने हेतु निम्न विशिष्ट प्रयास किए गये हैं:–

- प्रत्येक पात्र गांव / बस्ती से 1 कि0मी0 की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
- प्रत्येक पात्र गांव / बस्ती से 3 कि0मी0 की दूरी तक उ0प्रा0वि0 की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
- मध्याह्न भोजन योजना का संचालन।
- समस्त बच्चों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण।
- पात्र बच्चों को निःशुल्क गणवेश वितरण।
- विद्यालय में पुस्तकालय व्यवस्था।
- घर से विद्यालय दूर होने पर पात्र बच्चों को परिवहन / एस्कार्ट सुविधा।
- निजी विद्यालयों में विद्यालय की पहली कक्षा में 25 प्रतिशत निर्धन एंव कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को प्रवेश।
- विद्यालय से बाहर रह गये बच्चों को विशेष प्रशिक्षण के उपरान्त आयुसंगत कक्षा में प्रवेश।
- पारदर्शी अध्यापक स्थानान्तरण नीति।
- प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की नियुक्तियाँ।
- कक्षा–1 से 8 तक प्रत्येक बच्चे को गतिविधि आधारित कार्य पुस्तिका निःशुल्क वितरित की गई है, जिससे उनकी उपलब्धि में सुधार होगा।
- प्रथम बार प्रारम्भिक शिक्षा में सुधार हेतु पाठ्यक्रम को मासिक खण्डों में बांटकर शिक्षण सुनिश्चित कराया जा रहा है।
- बच्चों को प्रत्येक कक्षा में क्या सीखना चाहिये इस हेतु दक्षता स्तर संकेतकों का चिन्हाकन कर इनको आम जन तथा विभागीय कर्मियों की जानकारी हेतु उपलब्ध कराने के लिये पंजाब नेशनल बैंक की सहायता से फ्लैक्स बोर्ड पर समस्त प्राथमिक विद्यालयों में प्रदर्शित किया जा रहा है।
- आपदा ग्रस्त क्षेत्र के बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम संचालित।
- बच्चों के सपनों को साकार करने के लिए **सपनों की उड़ान** कार्यक्रम संचालित है जिसके अन्तर्गत दो मोबाइल बस संचालित हैं जिसमें शिक्षण हेतु कम्प्यूटर, पुस्तकालय तथा अनुदेशक की व्यवस्था है।
- सपनों की उड़ान के माध्यम से देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर व नैनीताल जनपद में समुदाय को जागरूक कर बच्चों को विद्यालयों में नामित कराया जाता है।

माध्यमिक शिक्षा में कक्षा 9–12 हेतु **राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान** संचालित है जिसके माध्यम से सरकार गुणवत्तायुक्त माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने हेतु संकल्पित है। इसके अन्तर्गत निम्न प्रमुख कार्य किए जा रहे हैं:–

- आवश्यकतानुसार माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना।
- कक्षा–9 में प्रवेशित बच्चों का अप्रैल माह में कक्षा 8 तक की दक्षता / ज्ञान स्तर का मूल्यांकन व कमी दूर करने हेतु एक माह का उपचारात्मक शिक्षण।